परिशिष्ट - `घ`

हरदत्तपुर

कर्मचारियों के कर्त्तव्य :

साधारण और सहायक नियमों तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों के अतिरिक्त दैनिक संचालन कार्यों से सम्बन्धित स्टेशन कर्मचारिंयों का निम्नलिखित सामान्य कर्त्तव्य तथा दायित्व होगा :-

(1) स्टेशन मास्टर

(अ) स्टेशन मास्टर, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है तथा सही, कुशल एवं सुरक्षित कार्य के लिये सामान्य रुप से उत्तरदायी होगा । कार्य क्षमता का ढांचा मानक प्राप्त अथवा कायम करने के लिये स्टेशन मास्टर का यह कर्त्तव्य है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारी आवश्यकता होने पर उसकी उपस्थिति अनुभव करें । स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

(क) स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारिंयों का सामान्य पर्यवेक्षण ।

(ख) सभी श्रेणियों के कर्मचारी अपने रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही एवं सुरक्षित कार्य-पद्धति अपनायी जा रही है, इसे सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जाँच ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी कर्मचारिंयों को उनसे सम्बन्धित कार्य का पूर्णरुपेण ज्ञान है का आवधिक परीक्षण एवं जाँच ।

(घ) दुर्घटना बचाने तथा सुरक्षित एवं सही कार्य-पद्धति के प्रयोग के लिये कर्मचारिंयों को प्रशिक्षित करना ।

(ड.) दिन और रात्रि के सिगनलों, समपरों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय में नियम पुस्तकों, डायरी, गाडी पंजिका और अन्य प्रपत्र जो गाडी संचलन के रख-रखाव अथवा प्रयोग में आते हैं, का प्राय: निरीक्षण करते रहना ।

(च) यार्ड तथा यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण ।

(छ) आश्वासन पंजिका तथा स्टेशन संचालन नियमावली का समुचित रख-रखाव ।

(ब) स्टेशन मास्टर के वे सभी कर्तव्य भी होगें जो निम्नलिखित उपबन्ध सं.2 में सहायक स्टेशन मास्टर के लिए निर्धारित हैं ।

क्रमश: पृष्ट सं0 2 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)	(धीरेन्द्र कुमार)
मंसिदूई / वाराणसी	वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

परिशिष्ट 'ख'

2. स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर :-

गाडियों के संचालन और प्रस्थान से सम्बन्धित विषयों, स्टेशन तथा उसके संचालन के लिये कार्य पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर प्रभारी रहेगा । गाडी संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को इसके निर्देशों और आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा । उसकी ड्यूटी में इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

(क) कार्यमुक्त हो रहे स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर से यार्ड, कांटों, सिगनलों, कांटा सूचकों, प्वाइण्ट चाभी पेटिका, लाइन नम्बर लेबुल, अन्य संरक्षा उपकरणों, प्राइवेट नम्बर पुस्तिका और सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में गाडी संचलन से सम्बन्धित पुस्तिकाओं की स्थिति की जानकारी करना, सुनिश्चित करना कि इस सम्बन्ध में स्टेशन डायरी में प्रविष्टियाँ कर दी गयी हैं ।

(ख) अपने कार्य की अवधि मे सभी गाडियों के लिये लाइन क्लीयर देना तथा प्रस्थान करने वाली गाडियों के चालकों को प्रस्थान आदेश देना ।

(ग) ब्लॉक उपकरणों का संचलन एवं नियंत्रण करना तथा कण्ट्रोल फोन पर स्वयं बात करना ।

(घ) साधारण एवं सहायक नियमों के अनुसार सभी गाडियों को लेना और भेजना ।

(ड.) सभी सिगनल संचलनों का नियंत्रण ।

(च) जब और जहाँ आवश्यक हो प्रस्थान करने वाली गाडियों के चालकों को सिगनल विफलता सूचना (टी - 369 (3बी) देना ।

(छ) स्टेशन डायरी का अनुरक्षण ।

(ज) प्राइवेट नम्बर पुस्तिका तथा कांटा चाभी पेटिका की चाभी को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा में रखना ।

(झ) कर्मचारिंयों के कार्यों का पर्यवेक्षण ।

(ट) किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का समुचित निष्पादन ।

(ठ) स्टेशन मास्टर के ड्यूटी पर न रहने के दौरान स्टेशन का सामान्य पर्यवेक्षण ।

(ड) शंटिंग संचलनों का सर्वेक्षण ।

क्रमश: पृष्ट सं0 3 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

परिशिष्ट 'ख'

3. कांटावाला

कांटावाला, गाडियों के आगमन व प्रस्थान के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है । स्टेशन पर गाडियों के समुचित एवं संरक्षित संचलन के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन उसे करना है । इसके अतिरिक्त उसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल है :-

(क) गाडियों को लेने के लिए :-

(i) सभी मार्ग पर पडने वाले सम्मुख कांटों को सेट एवं ताला बन्द करना ।

(ii) मार्ग पर पडने वाले सभी ट्रेलिंग कांटों को सेट करना ।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है ।

(iv) यदि आवश्यक हो तो लाइन नम्बर लेबुल के बदले में लाइन बैज का आदान प्रदान करना ।

(v) गाडियों के लिए सिगनल झुकाये जाने के पूर्व सबसे बाहरी सम्मुख कांटे पर से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करना ।

(vi) दिन में एल.वी. बोर्ड तथा रात्रि में टेल लैम्प देखकर गाडियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करना ।

(ख) गाडियों के प्रेषण के लिए :-

(i) मार्ग में पडने वाले, सम्मुख कांटों, यदि कोई हो, को सेट एवं ताला बन्द करना ।

(ii) मार्ग में पडने वाले ट्रेलिंग कांटों को सेट करना ।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है ।

(iv) सबसे बाहरी सम्मुख कांटे पर से कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ आल राइट सिगनल का आदान - प्रदान करना ।

(v) ट्रेलिंग कांटा पर उपस्थित रहना ।

(vi) दिन में एल.वी. बोर्ड तथा रात्रि में टेल लैम्प देखकर गाडियों का पूर्ण प्रस्थान सुनिश्चित करना

(vii) कार्यरत कांटा वाला समपर फाटकों, यदि कोई हो, को खोलने एवं बन्द करने के लिए भी जिम्मेदार है जैसा कि स्टेशन संचालन नियमावली में दिया हुआ है ।

क्रमश: पृष्ट सं0 4 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

(viii) गाडियों को पाइलट करना, यदि इसकी आवश्यकता हो ।

(ix) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा जब और जहाँ आदेश दिया जाय, पटाखा सिगनल लगाना ।

(x) अपने अधीन पडने वाले कांटों की सामान्य देखभाल करना, उन्हें साफ रखना और गिट्टी व धूल आदि से साफ रखना । कार्यरत स्टेशन मास्टर को निम्न की तत्काल सूचना देना :-

(अ) सिगनलों, कांटों, क्रासिंग्स एवं गार्ड रेल आदि में पाई जाने वाली किसी खराबी की कार्यरत स्टेशनमास्टर को तत्काल सूचना देना ।

(ब) रेल के संरक्षित एवं समुचित संचलन को प्रभावित करने वाली कोई बात, जो उसकी जानकारी में आये ।

(स) शंटिंग के दोरान स्टेशन पर शण्ट आफ हुए खलिया वाहनों को ढूंढना तथा यदि कुछ ज्ञात हो तो इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को देना ।

(द) सेफ्टी चेन व पैड तालों की सहायता से स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित करना ।

4 लाइन क्लीयर पोर्टर :-

1 लाइन क्लीयर पोर्टर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान से सम्बन्धित कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन करने हेतु उत्तदायी है ।

2 सवारी गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान कराने हेतु स्टेशन घंटी को बजाना ।

3 आगमन करने वाली गाड़ी के चालक से आवक टोकन लेकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौपना

4 प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को प्रस्थान प्राधिकार प्रदान करना ।

5 खड़ी गाड़ी के गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र (टी 1410 पर) प्राप्त करना ।

6 यदि आवश्यकता हुयी तो प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर एवं गार्ड को सर्तकता आदेश (टी - 409) प्रदान करना ।

7 यदि आवश्यकता हुयी तो प्रस्थान करने वाली के ड्राइवर को दोषपूर्ण सिगनल की सूचना देना

8 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा जब और जहां आदेश दिया जाए पटाको को रखना ।

9 स्टेशन बत्तियों की सफाई, जलाना, बुझाना ।

10 फ्लेयर टार्च का अनुरक्षण और रात्रि के समय प्रयोग में लाने हेतु तैयार रखना ।

5. गेट मैन :- परिशिष्ट 'क' का सभी भागों में अंकित है ।

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी